

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 25(75)पार्ट-II/परि/कम्प्यू./2016/18454 जयपुर, दिनांक: 07/09/18
कार्यालय आदेश 2.5/2018

राज्य के 48 प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन पंजीयन संबंधी सेवाएं वेब आधारित 'वाहन 4.0' के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इन कार्यालयों के अधीनस्थ अधिकृत वाहन विक्रेताओं द्वारा परिवहन श्रेणी के वाहनों को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। अधिकृत वाहन विक्रेताओं के द्वारा 'वाहन 4.0' का प्रयोग कर ऑनलाईन अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं -

1. दिनांक 30.09.2018 के पश्चात् अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र (TRC) अनिवार्य रूप से 'वाहन 4.0' के माध्यम से ही जारी किये जावें।
2. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी दिनांक 30.09.2018 तक उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत परिवहन श्रेणी के वाहन विक्रेताओं को 'वाहन 4.0' पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जारी करेंगे एवं उन्हे जारी की गयी TRC बुक में से शेष TRC फॉर्म को कार्यालय में जमा करवाया जाना एवं इस पेटे देय राशि का रिफंड करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. संबंधित पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की परिवहन यानों के अधिकृत डीलर 'वाहन 4.0' के द्वारा केवल वाहनों का अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र ही जारी करें।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में किसी भी परिवहन श्रेणी के वाहन विक्रेता द्वारा मैन्युअल अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र (TRC) जारी नहीं किये जाने एवं शेष अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र बुक (TRC book) कार्यालय में जमा करवा दिये जाने के आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम), मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

उक्त आदेशों की अक्षरक्ष: पालना सुनिश्चित की जावे।



(शैलेन्द्र अग्रवाल)

परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक: एफ 25(62)/परि/कंप्यू./2014/18455-459 जयपुर, दिनांक: 07/09/18

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....।
4. श्रीमति रानी जैन, OIC वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त परिवहन आयुक्त (IT)